न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 127/2023
ऑनलाईन नंबरः 2023/269

निर्णय दिनांकः 27.12.2024

शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. बादूदेवी पत्नि भगवानाराम जाति जाट
2. रामलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट
3. पार्वती पुत्री भगवानाराम जाति जाट
4. सरस्वती पुत्री भगवानाराम जाति जाट | निवासीगण बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

1. चुन्नी देवी पत्नि मांगीलाल जाति जाट
2. रमेश पुत्र मांगीलाल जाति जाट
3. सीमा पुत्री मांगीलाल जाति जाट | निवासीगण बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—गौण प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>दावा अंन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी, गौण प्रतिवादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके विरास्तन एवं संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 38 तादादी 7.4800 हैक्टेयर रोही केऊ खसरा ननम्बर 24 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 791/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/22 तादादी 2.0900 हैक्टेयर रोही बाडेला में स्थित है। जो आपसी पारिवारिक विभाजन में वादी एवं गौणप्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 24 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/22 तादादी 2.0900 हैक्टेयर रोही बाडेला हिस्से पांती में आये हुए है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 के खसरा नम्बर 38 तादादी 7.4800 हैक्टेयर हिस्से पांती में आये हुए है। वादगत खेत खसरा नम्बर 24 तादादी 2.6300 हैक्टेयर के सम्बन्ध में एवं दावा घोषणात्मक दावा मुकदमा नम्बर 110/2010 निर्णय दिनांक 10.112010 अनुवान भगवानाराम बनाम डूंगरराम वगैरह में निर्णय अनुसार ग्राम बाडेला की भूमि भगवानाराम पुत्र सेऊराम के 5/6 हिस्सा एवं परताराम पुत्र सेऊराम के 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषित की गई थी। बाद में परताराम पुत्र सेऊराम द्वारा अपना 1/6 हिस्सा का परित्याग भगवानाराम के हक में कर दिया था। न्यायालय द्वारा वादगत खेत की खातेदारी भगवानाराम एवं परताराम की घोषित करने एवं बाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

परताराम द्वारा अपना हिस्सा भगवानाराम के पक्ष में परित्याग किये जाने से सम्पूर्ण खेत भगवानाराम अकेले के हक हिस्से में आ गया एवं बाद में भगवानाराम के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के हिस्से में पांती में दिया गया है। तब से वादगत खेतों पर वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादगत खेत में न्यायालय द्वारा वादी के दादा एवं परताराम के नाम घोषणा करने एवं परताराम द्वारा वादी के दादा के पक्ष में परित्याग करने के कारण अब वादगत खेत वादी, गौण प्रतिवादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरास्तन का खेत है जो अब आपसी विभाजन में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के हिस्से पाती में आया हुआ है विभाजन एवं हिस्से पांती के अनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 24 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 791/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/22 तादादी 2.0900 हैक्टेयर रोही बाडेला की खातेदारी वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के नाम घोषित करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादगत खेतों में से वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 24 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 791/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/22 तादादी 2. 0900 हैक्टेयर रोही बाडेला की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार वादीगण ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बन्धित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से दिनांक 30.08.2023 करे स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 30.08.2023 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये और वादीगण को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेतों में वादीगण का कब्जा काश्त होने एवं वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.08.2023 की इनकारी से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादीगण का कब्जा काश्त होने से आपसी पारिवारिक विभाजन में मुताबिक बनता है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेतों में आये हुए वादीगण के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुड़ाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनांक 30.08.2023 को धमकी दी और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नहीं देंगे और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादीगण ने दिनांक 30.08.2023 को ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से वादीगण के हिस्से की भूमि की [illegible] तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी[illegible] संख्या 1 ता 4 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हे वादगत खेतों में [illegible] भी भूमि नहीं देंगे और

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेतों से बेदखल कर देंगे व खेत को विक्रय कर देगे इसलिए वादीगण को दिनांक 30.08.2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वाद हेतु (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन्न हो गया है। वादीगण का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रूप से चला आ रहा है। वादीगण को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरूरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादीगण को दिनांक 30.08.2023 प्राप्त हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादीगण के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। वादीगण को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादीगण को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 20 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादीगण के खेतों का विक्रय कर दिया तो वादीगण को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वादीगण उक्त खेतों को शुरू से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी की तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से ही भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण की देंगे इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा दी गई धमकी की दिनांक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में वादीगण का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त है इसलिए वादीगण द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण ने उक्त दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है। उक्त दावे में प्रतिवादीगण संख्या 8 के रूप राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा खाता तरमीम के ऑपचारिक पक्षकरा बनाया गया है। स्टेट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमाई जाने का निवदेन किया गया हैः–

(क) वादीगण को खसरा नम्बर 24 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 791/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/22 तादादी 2.0900 हैक्टेयर रोही बाडेला का खातेदार घोषित किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 24 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 791/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/22 तादादी 2.0900 हैक्टेयर रोही बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत बैजा नहीं करें [illegible] उक्त खसरा के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें [illegible] कोई कृत्य अथवा अपकृत्य

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:29 IST
Reason: SelfAttested

करें ना किसी अन्य से करावें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हों। दौरान दावा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने दावा हो जावे, वह भी वादीगण को प्रदान किया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हाकर राजीनामा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्य पेश कर दस्तावेज 01 से 08 प्रदर्श करवायें गये। साक्ष्यवादी जिरह पूंर्ण। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 24 तादादी 2.63 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 791/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 792/22 तादादी 2.0900 वाकेरोही बाडेला में वादी एवं गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम ब.हि.ब. खातेदारी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खेत खसरा नंबर 38 तादादी 7.4800 हैक्टेयर वाकेरोही केऊ की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ रहनमुक्त होने के बाद निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २७.१२.२०२५ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:29 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिकडिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उमवान

शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. बादूदेवी पत्नि भगवानाराम जाति जाट
2. रामलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट
3. पार्वती पुत्री भगवानाराम जाति जाट
4. सरस्वती पुत्री भगवानाराम जाति जाट

निवासीगण बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

1. चुन्नी देवी पत्नि मांगीलाल जाति जाट
2. रमेश पुत्र मांगीलाल जाति जाट
3. सीमा पुत्री मांगीलाल जाति जाट

निवासीगण बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—गौण प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 127/2023

दावा बाबतः घोषणात्मक, विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः २७.१२.२०२५

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बानाअधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नंबर 24 तादादी 2.63 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 791/22 तादादी 2.0600 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 792/22 तादादी 2.0900 वाकेरोही बाडेला में वादी एवं गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम ब.हि.ब. खातेदारी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खेत खसरा नंबर 38 तादादी 7.4800 हैक्टेयर वाकेरोही केऊ की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ रहनमुक्त होने के बाद निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक २७ माह १२ सन् 2024 को जारी किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:29 IST
Reason: SelfAttested